



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032026-271253  
CG-DL-E-24032026-271253

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1489]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 24, 2026/चैत्र 3, 1948

No. 1489]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 24, 2026/CHAITRA 3, 1948

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(वित्तीय बाजार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2026

का.आ. 1554(अ).—केन्द्र सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की निबंधन और शर्तों) नियमावली, 1992 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 4 की उपधारा (1) (घ) और उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा श्री कोम्पेला वेंकट रमन मूर्ति, आईडीएस (1991) (सेवानिवृत्त), पूर्व अपर रक्षा लेखा महानियंत्रक, रक्षा मंत्रालय, को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पूर्णकालिक सदस्य के पद पर, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इसमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करती है।

[फा. सं. 2/1/2021-आरई]

आलोक तिवारी, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Economic Affairs)**  
**(FINANCIAL MARKET DIVISION)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th March, 2026

**S.O. 1554(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) (d) and sub-section (4) of section 4 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), read with rule 3 of the Securities and Exchange Board of India (Terms and Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1992, the Central Government hereby appoints Shri Kompella Venkata Ramana Murty, IDAS (1991) (Retd.), former Additional Controller General of Defence Accounts, Ministry of Defence, to the post of Whole-Time Member, Securities & Exchange Board of India (SEBI), for a period of three years from the date of assumption of charge of the post, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 2/1/2021-RE]

ALOK TIWARI, Jt. Secy.